

बिहार पशु चिकित्सा संघ
कार्यालय :- विद्यापति मार्ग, पटना-800001

पत्रांक13...../

दिनांक6.3...../2020

सेवा में,

माननीय मंत्रीजी,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय :- पशुपालन विभाग एवं पशु चिकित्सकों के कल्याण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक हम सभी पशु चिकित्सक माननीय मंत्रीजी को निम्नांकित तथ्यों के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :-

1. पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना विभाग का रीढ़ जैसे है, यह संस्थान विभाग के विभिन्न (समस्त) कार्यक्रमों को **execute** करते रहा है, यथा - सभी प्रकार का पशु टीकाकरण, विभिन्न पैथोलॉजिकल जाँच, कृमिनाशन, **outbreak** एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों को **implement & monitoring** करता रहा है। जिससे निश्चित रूप से राज्य के गरीब पशुपालकों को लाभ मिला है। कुछ वर्ष पूर्व इस संस्थान को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में समाहित करने हेतु गजट प्रकाशित हुई थी। जबकि विश्वविद्यालय इस संस्थान के मानव बल को अपने अधीन लेने से इनकार करता रहा है। विदित हो कि गजट में **Asset with Liabilities** के साथ संस्थान को विश्वविद्यालय के अधीन हस्तान्तरित करने की बात स्पष्ट है। इस संस्थान को विभाग से हटाकर विश्वविद्यालय में हस्तान्तरित कर देने पर विभाग के समस्त कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, साथ ही हम पशु चिकित्सकों को काफी दुःख पहुँचेगा एवं भविष्य में संस्थान में **vaccine production** की प्रत्याशा भी समाप्त हो जायेगी। यह संस्थान राज्य का एक मात्र संस्थान है, जो **Diagnostic, Production एवं extension work** के लिए ख्याति प्राप्त रहा है। पिछले दो वर्षों से राज्य में बर्ड फ्लू का रोकथाम एवं बाढ़ की विभिषका की स्थिति में भी यह संस्थान काफी तत्पर रहा है। विगत वर्षों में विभाग को विभिन्न तरह का राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुई है, जिसमें इस संस्थान का कार्य निश्चित रूप से निर्णायक रहा है।

अगर जरूरत हो तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को **Potato Research Station, Patna** दिया जा सकता है, जिसका लीज समाप्त हो चुका है।

2. पशु चिकित्सकों को मानद चिकित्सकों के अनुरूप **DACP** का लाभ दिया जाय।
3. पशु चिकित्सकों को मानद चिकित्सकों के अनुरूप सेवानिवृति की उम्र सीमा निर्धारित की जाय।
4. चूँकि विभाग में पहले से ही पशु चिकित्सकों की कमी है। अतः पशु चिकित्सकों को अन्य विभाग यथा- वन विभाग, **COMFED** एवं अन्य क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति समाप्त किया जाय और अगर जरूरत हो तो इन विभागों में स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति की जाय।
5. बेरोजगार पशु चिकित्सकों को विभाग में रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति यथाशीघ्र की जाय।

विश्वासभाजन
B. K. S.

(डा० विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

मोबाईल नं०-7488601083